भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5209

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1941 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को विशेष सहायता

5209. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर :
श्री कृपाल बालाजी तुमाने :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग निकाय विनिर्माण संघ के अनुसार देश में पर्सनल कम्प्यूटर की निर्माण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का भारत में स्मार्टफोन और टैबलेटों के विनिर्माण हेतु कंपनियों को कोई विशेष सहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ड.) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हेतु अवसंरचनात्मक सुविधा में सुधार करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माता संघ (एमएआईटी) के अनुसार देश में पर्सनल कम्प्यूटर की विनिर्माण क्षमता का तुलनात्मक रूप से सस्ते आयात और कुछ कठिनाइयों, जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों की तुलना में समकक्ष दर्जे के अभाव में घरेलू पर्सनल कम्प्यूटर विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनने में बाधक हैं, के फलस्वरूप लगभग 80% तक कम सदुपयोग हुआ है। इनमें पर्याप्त बुनियादी ढाँचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और संचार तंत्र की कमी; उच्च वित्त लागत; अपर्याप्त संघटक विनिर्माण आधार और उद्योग द्वारा विकास और अनुसंधान पर सीमित ध्यान जैसी कमियाँ शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए-1) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने निजी कम्प्यूटरों सहित 217 टैरिफ लाइनों पर शून्य आयात शुल्क कार्यान्वित किया है।

(ग), (घ) और **(ङ) :** सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु उद्योग जगत के लिए समर्थकारी वातावरण निर्मित करने और इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिज़ाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक हब के रूप में भारत को स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ दिनांक 25.02.2019 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2019 (एनपीई-2019) अधिसूचित की है । एनपीई, 2019 निम्नलिखित लिंक https://meity.gov.in/esdm/policies पर उपलब्ध है। एनपीई, 2019 के मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- कौशल, प्रौद्योगिकी, स्केल और वैश्विक बाजार पर केन्द्रित करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख घटक और सामग्री सहित, एसडीएम की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एसडीएम उद्योग हेतु नए/अभिनव वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तुत करके तथा मौजूदा प्रोत्साहनों को संवर्धन करके सुगम विनिर्माण को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, स्मार्ट फोन और संबंधित सब असेम्बलियों/संघटकों के विनिर्माण सहित, मोबाइल फोन के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) देश में सुदृढ़ सेलुलर मोबाइल फोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए घरेलू मूल्यवर्धन में हो रही वृद्धि के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने इस क्षेत्र में तेजी से निवेश आकर्षित करना शुरू कर दिया है और मोबाइल फोन विनिर्माण इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है।

वर्ष 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2018-19 में सेलुलर मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 1,70,000 करोड़ रु. तक पहुंच गया। वर्ष 2014-15 में 6 करोड़ यूनिट के उत्पादन की तुलना में 2018-19 में संख्या के संदर्भ में मोबाइल फोन का उत्पादन 29 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है।

सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए अवसंरचना सुविधा सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के घरेलू विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

सरकार द्वारा देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम

i. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में कमियों को दूर करने और निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। योजना नई परियोजनाओं के साथ-साथ विस्तारित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है, और 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है। इस योजना में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सुविधा (एसईजेड यूनिटों के लिए 20% और गैर-एसईजेड यूनिटों के लिए 25%) की स्थापना के लिए पूंजी व्यय में निवेश के लिए सब्सिडी में 20% से 25% तक की छूट दी जाती है। ये प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों और उत्पाद घटकों की 44 श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। अब तक 212 परियोजनाओं को 55,182 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है। इन 212 परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध प्रोत्साहन 5,635 करोड़ रुपए है।

ii. इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों के लिए नवीनतम अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना को अधिसूचित किया गया था। यह योजना 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 21 अक्तूबर, 2017 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। इसके अलावा, अनुमोदित आवेदकों के लिए निधियों के संवितरण हेतु पांच वर्ष की अवधि उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक 100 एकड़ भूमि के लिए 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन परियोजना लागत की 50% तक की वित्तीय सहायता ग्रीनफील्ड ईएमसी के लिए उपलब्ध थी और ब्राउनफील्ड ईएमसी के लिए 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन अवसंरचना लागत का 75% अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के अंतर्गत देशभर के 15 राज्यों में 20 ग्रीन फ्रील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया है।

iii. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मोबाइल हैंडसेट, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिकी संघटक, टीवी के लिए सेट-टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपस्कर शामिल हैं। मोबाइल हैंडसेटों तथा उसके भागों/संघटकों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को अधिसूचित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में इस क्षेत्र में तेजी से निवेश आकर्षित हुए हैं और पिछले 4 वर्षों के दौरान देश में महत्वपूर्ण रूप से विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना हुई है। मोबाइल हैंडसेट और कलपुर्जों और संघटकों का विनिर्माण सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) से कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) स्तर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इस प्रकार उत्तरोत्तर रूप से घरेलू मूल्य वर्धन हो रहा है।

iv. लागू कानूनों/विनियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विनिर्माण के लिए मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक की एफडीआई की अनुमति है

v. इस क्षेत्र में निर्यात के प्रोत्साहन के लिए मर्चेन्डाइज एक्सपोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) स्कीम, विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के तहत उपलब्ध है। एमईआईएस निर्यात प्रोत्साहन देता है ताकि विनिर्माण संबंधी बाधाएं दूर की जा सके। शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना विशिष्ट निर्यात अनुबंध-पत्र की शर्त के अध्यधीन शून्य सीमा शुल्क पर कैपिटल गुड्स के आयात को अनुमति देती है।

vi. दिनांक 11.06.2018 की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016 के संशोधन के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कम से कम 5 वर्ष के अवशिष्ट जीवन वाले प्लांट और मशीनरी के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

vii. विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत सामग्री को "शून्य " आधारभूत सीमा शुल्क पर आयात के लिए अनुमति है।

viii. राजस्व विभाग ने दिनांक 11.09.2018 की अधिसूचना संख्या 60/2018-कस्टम के जरिए दिनांक 14.11.1995 की अधिसूचना संख्या 158/95-कस्टम में संशोधन किया है, जिसके अतंर्गत भारत में विनिर्मित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री और सुधार कार्य या स्थिति में सुधार के लिए भारत में पुन: आयात की गई वस्तुओं के लिए आयु सीमा को शिथिल करते हुए 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है।

ix. भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिकी सामनों के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एमईआईटीवाई ने आवश्यक अनुपालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 अधिसूचित किया है। आदेश के प्रावधानों के अनुसार, विनिर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पाद की जांच कराना होगा, बीआईएस से पंजीकरण कराने और उत्पाद पर पंजीकरण चिन्ह रखना है। आदेश के अंतर्गत 44 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित की गई हैं।

x. सरकार ने आय और रोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में माल के विनिर्माण और उत्पादन तथा सेवाओं को बढ़ावा और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 को अधिसूचित किया है। उपरोक्त आदेश को अनुक्रम में, एमईआईटीवाई ने 11 इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों अर्थात डेस्कटॉप पीसी, लेपटॉप पीसी, टैबलेट पीसी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलैस स्मार्ट कार्ड, एलईडी उत्पादों, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल। अधिप्रमाणन उपकरणों, बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर, बायोमेट्रिक आइरिस सैंसर, सर्वर और सेलुलर मोबाइल फोन के लिए स्थानीय सूचना सामग्री को अधिसूचित किया है।

xi. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) को 25.2.2019 अधिसूचित किया गया है। एनपीई का उद्देश्य चिपसेट सहित मुख्य अवयवों का विकास करके और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और उद्योगों के लिए सक्षम महौल बनाने हेतु देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में भारत को स्थापित करना है।

नवाचार और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना

xii. व्यावसायिक रूप से प्रबंधित "डॉटर निधियों" में भागीदारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) को "निधियों की निधि" के तौर पर स्थापित किया गया है जो बदले में इलेक्ट्रॉनिकी, नैनो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराएगा। ऐसी उम्मीद है कि इस निधि द्वारा इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आरएण्डडी और नवोदभव को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में 6 डॉटर निधियों का निधियन किया जा रहा है।

xiii. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) चिन्हित किए गए प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए आईआईटी, आईआईएससी, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठन जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान देता है। इन अनुसंधान कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तकनीक/उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी कई पहलें की गई हैं। इन अनुसंधान कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 'मेक इन इंडिया' को सहायता देने के लिए विशेषीकृत जनशक्ति तैयार हुई है।

xiv. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में भारतीय अनुबन्धित अभिगम प्रणाली (आईसीएएस) का विकास सेट टॉप बाक्सों (एसटीबी) के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। केबल नेटवर्क में आईसीएएस का कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है।

xv. ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए उदभवन सुविधा उपलब्ध कराने वाले एक इलेक्ट्रोप्रिन्योर पार्क की स्थापना नई दिल्ली में की गई है जो क्षेत्र में आईपी सृजन और उत्पाद विकास में अपना योगदान देगा।

xvi. अनुसंधान और विकास, विनिर्माण; इकोसिस्टम; उद्यमशीलता; अन्तरराष्ट्रीय भागीदारियों तथा मानव संसाधन को बढ़ावा देने और वाणिज्यिकरण के लिए उद्योगों के सहयोग से प्रोटोटाइप विकसित करने के उद्देश्य से आईआईटी, कानपुर में वृहत क्षेत्र फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (एनसीएफएलईएक्स) की स्थापना की जा रही है।

xvii. आन्तरिक सुरक्षा पर प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (एनसीईटीआईएस) की स्थापना आईआईटी, बॉम्बे में की गई है। इसका उद्देश्य अन्तरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी आदिरूप उपलब्ध कराकर और अन्तरिक सुरक्षा के क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर सतत आधार पर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है।

xviii. नैसकॉम के साथ संयुक्त रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पर उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना बंगलूरू में की गई है।

xix. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पटना में चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी पर फोकस के साथ इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई।

xx. सेमीकंडक्टर डिजाइन में स्टार्ट-अप को इन्क्यूबेटर और इस क्षेत्र में प्रवेश करने का इरादा रखने वाली स्टार्ट-अप की वन-स्टॉप सर्विस प्रदान करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक फैबलेस चिप डिजाइन इन्क्यूबेटर केन्द्र की स्थापना की गई है।

xxi. औद्योगिक भागीदार के तौर पर मैसर्स इंटलेक्ट डिजाइन, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और भागीदार बैंक के तौर पर यस बैंक, पे पाल, एचएसबीसी, ज्ञान भागीदार के तौर पर आईआईटी चेन्नै और औद्योगिक कनेक्ट उपलब्ध कराने के लिए चेन्नै एक समेकित दृष्टिकोण के माध्यम से फिन टेक सेक्टर में उभरते स्टार्ट-अप के लिए अवसंरचना, संसाधन, कोचिंग/मेंटरशिप, तकनीकी सहायता और निधियन उपलब्ध कराने के लिए एसटीपीआई चेन्नै में फिन टेक पर एक उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना की गई है।

xxii. एक आईओटी ओपन लैब-एसटीपीआई बैंगलोर में एरो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साझेदारी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स हेतु उत्कृष्टता केन्द्र आईओटी के आस-पास उत्पादों और/या सेवा के विकास के लिए आईओटी उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्ट-अप के अकादमिक और व्यवसायिक परामर्श प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

xxiii. ईएसडीएम नवोदभव, आरएंडडी को बढ़ावा देने और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय बौद्धिक संपदा सृजित करने के लिए एक समग्र पारिस्थितिक तंत्र निर्माण करने के उद्देश्य से भुवनेश्वर में एक ईएसडीएम इन्क्यूबेशन केन्द्र की स्थापना की गई है।

****